

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 04.07.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।



- पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के थानों की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा चलाया गया 'मिशन शक्ति' एवं 'शक्ति दीदी' अभियान।
- महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता कर पंपलेट आदि के माध्यम से विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए किया जागरूक।

महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान, स्वावलम्बन, सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 04.07.2025 को मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा के थाना खन्ना की एण्टी रोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों/कस्बों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों आदि के आस-पास मिशन शक्ति एवं शक्ति दीदी अभियान के अन्तर्गत महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया।

अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के लिए समर्पित विभिन्न सेवाओं/हेल्पलाइन नम्बरों (ट्वीटर सेवा, डॉयल-112, हेल्प लाइन-181, वुमेन पावर लाइन-1090, चाइल्ड हेल्प लाइन-1098, सी0एम0 हेल्पलाइन-1076, वन स्टॉप सेन्टर-181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन-102, एंबुलेंस सेवा-108 आदि) तथा जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने पर महिला हेल्प डेस्क आदि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए पंपलेट आदि के माध्यम से जागरूक किया गया तथा महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं (निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना आदि) के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक किया गया।



सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता अभियान, HSRP अनिवार्यता व यातायात नियमों के पालन हेतु बस चालकों को किया गया जागरूक, दिलाई गई शपथ-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी रूप से कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। आज दिनांक 04.07.2025 को यातायात प्रभारी श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में जनपदीय यातायात पुलिस टीम द्वारा प्राइवेट बस स्टैंड, महोबा पर विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया गया।

इस दौरान बस चालकों एवं परिचालकों को एकत्र कर सड़क सुरक्षा नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई एवं उनसे शत-प्रतिशत यातायात नियमों के पालन की अपील की गई। सभी चालकों को सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई, जिससे वे स्वयं और अन्य नागरिकों की सुरक्षा हेतु सजग रहें।

इस मौके पर सभी बसों में एचएसआरपी (HSRP - हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगाए जाने के सख्त निर्देश दिए गए।

➔ HSRP एक विशेष प्रकार की पंजीयन प्लेट होती है, जिसमें लेजर-एच्छड कोड होता है, जिससे इसे नकली बनाना या बदलना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह वाहन चोरी की घटनाओं में कमी लाने, वाहन की ट्रैकिंग को आसान बनाने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अत्यंत उपयोगी है।

यह जागरूकता अभियान न सिर्फ सड़क पर चलने वाले नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ाएगा, बल्कि शासन की ओर से निर्धारित मानकों को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।



जनपद महोबा पुलिस की बड़ी कार्यवाही..

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रु. का इनामिया अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार, स्नॉट/सर्विलेंस एवं थाना कबरई की संयुक्त कार्यवाही में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी, अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, जिन्दा एवं खोखा कारतूस सहित 01 मोटरसाइकिल बरामद। अभियुक्त के विरुद्ध 13 गंभीर मुकदमे - गैंगेस्टर, गुंडा, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट आदि के तहत दर्ज हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे शातिर ईनामिया एवं गैंगेस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 04.07.2025 को जनपद महोबा की थाना कबरई एवं जनपदीय स्नॉट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम धरौन स्थित सिचौरा रोड डबल पुलिया के पास दबिश दी गई तो गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एवं 25 हजार रु. इनामिया अभियुक्त आशाराम उर्फ अस्सू पुत्र ठाकुरदास नि०मु० हमीरपुर चुंगी थाना कोतवाली जनपद महोबा उम्र करीब 35 वर्ष जिसके द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया गया, पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त आशाराम उर्फ अस्सू उपरोक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल अभियुक्त को सीएचसी कबरई से प्राथमिक उपचार के उपरांत जिला अस्पताल महोबा रेफर किया गया, जहां उसकी हालत सामान्य है।

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज व चार सौ रुपये तथा एक अदद मोटर साइकिल

टी०वी०एस० स्पोर्ट जिसका चेचिंस नं० MD625CK23P1C04026 व इन्जन नं० AK2CP1703996 बरामद हुई है, जिसको एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर सक्रिय अपराधी है जिसके विरुद्ध गैंगेस्टर, गुंडा, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट आदि के तहत 13 गंभीर मुकदमें पंजीकृत हैं, अभियुक्त के आपराधिक क्रिया कलापों के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी पर 25 हजार रु. का नगद ईनाम भी घोषित था।

अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कबरई में मु०अ०सं० 191/25 धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आशाराम उर्फ अस्सू पुत्र ठाकुरदास नि0मु0 हमीरपुर चुंगी न्यू सिटी थाना कोतवाली जनपद महोबा उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी:

- एक अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- ₹400 नगद
- एक टीवीएस स्पोर्ट मोटरसाइकिल
- चेचिस नंबर: MD625CK23P1C04026
- इंजन नंबर: AK2CP1703996

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

थाना कबरई पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया
2. व0उ0नि0 मलखान सिंह
3. कां0 राहुल अग्निहोत्री 4. कां0 अंकित पटेल

जनपदीय स्वॉट/सर्विलेंस पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शिवप्रताप सिंह, प्रभारी जनदीय स्वॉट/सर्विलेंस
2. उ0नि0 विवेक यादव
3. कां. आशीष बघेल 4. कां. कुलदीप यादव 5. कां. अभिषेक दुबे

अभियुक्त पर 13 गंभीर मुकदमे – गैंगस्टर, गुंडा, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट आदि के तहत दर्ज हैं जिनका विवरण निम्नवत है।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त आशाराम उर्फ अस्सू धोबी..

1. मु0अ0सं0 2452/2014 धारा 307 भा.द.वि. व 7 क्रिमिनल ला(अमेन्डमेन्ट) एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
2. मु0अ0सं0 2456/2014 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
3. मु0अ0सं0 3543/2014 धारा 3 उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधि0 1970 कोतवाली महोबा
4. मु0अ0सं0 951/2015 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
5. मु0अ0सं0 636/2015 धारा 380/411/457 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर महोबा
6. मु0अ0सं0 592/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
7. मु0अ0सं0 124/2019 धारा 380/411/457 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर महोबा
8. मु0अ0सं0 133/2024 धारा 13 जी एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
9. मु0अ0सं0 249/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
10. मु0अ0सं0 534/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
11. मु0अ0सं0 40/25 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर महोबा
12. मु0अ0सं0 57/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
13. मु0अ0सं0 280/25 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा

साप्ताहिक शुक्रवार परेड में पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस लाइन पहुंच परेड की सलामी ली गई...

रिक्रूट आरक्षियों को अनुशासन, स्वच्छता एवं कर्तव्यनिष्ठा का दिया मूलमंत्र

आज दिनांक 04.07.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस लाइन पहुंच साप्ताहिक शुक्रवार परेड की गरिमामयी सलामी ली गई। परेड उपरांत टोलीवार निरीक्षण किया गया।

इस दौरान सभी टोलियों को अनुशासन, एकरूपता एवं तालमेल के लिए ड्रिल अभ्यास कराया गया। साथ ही शारीरिक दक्षता बढ़ाने हेतु दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कर पुलिस कर्मियों को मानसिक व शारीरिक रूप से सजग रहने का संदेश दिया।

परेड उपरांत पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को संबोधित किया गया। अपने प्रेरणादायी संबोधन में उन्होंने रिक्रूट्स को पुलिस सेवा की गरिमा, व्यवहार की मर्यादा, परिसर की स्वच्छता, तथा एकजुटता से कार्य करने के महत्व पर विशेष बल देते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया।

इसके उपरान्त अर्दली रूम कार्यवाही के तहत विभिन्न शाखाओं, गार्ड रजिस्ट्रों एवं कार्यालय व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को कर्तव्य के प्रति सजग रहते हुए कार्य संस्कृति में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।

प्रतिसार निरीक्षक (RI) श्री शिवकुमार को निर्देशित किया गया कि चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु परेड ग्राउंड सहित सम्पूर्ण पुलिस लाइन परिसर की नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था, मरम्मत एवं अन्य सभी जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

